भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2691

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ईएफटीए समझौता

2691. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विनिर्माण के लिए यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) द्वारा प्रतिबद्ध निवेश राशि कितनी है;

(ख) समझौते के तहत प्रस्तावित निवेश की अनुमानित मात्रा विशेषरूप से मेक इन इंडिया और उन्नत विनिर्माण उद्देश्यों से जुड़े क्षेत्रों में कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ईएफटीए से जुड़े निवेश के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई सुविधा तंत्र शुरू किया है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) दिनांक 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) एक आधुनिक और दूरदर्शी समझौता है। मुक्त व्यापार समझौतों के इतिहास में पहली बार, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन और आइसलैंड से आगामी 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर या वर्तमान विनिमय दर पर ₹8 लाख 65 हज़ार करोड़ रूपये के निवेश और 01 मिलियन प्रत्यक्ष रोज़गार की बाध्यकारी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई है।

निवेश संवर्धन एवं सहयोग संबंधी टीईपीए के अध्याय 7 के तहत, ईएफटीए सदस्य देश इस समझौते के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर अपने निवेशकों से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे, और उसके बाद के 5 वर्षों में अतिरिक्त 50 अरब अमेरिकी डॉलर, अर्थात् 15 वर्षों में कुल 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाएँगे। इसके साथ ही, ईएफटीए सदस्य देश इन निवेश प्रवाहों के परिणामस्वरूप भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गारों के सृजन को सुगम बनाने का लक्ष्य रखेंगे। इस निवेश प्रतिबद्धता में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, और इसका फोकस उत्पादक क्षमता निर्माण और रोज़गार सृजन हेतु दीर्घकालिक पूँजी पर केंद्रित है।

टीईपीए से 'मेक इन इंडिया' और ' आत्मनिर्भर भारत' पहलों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलने की प्रत्याशा है। इस निवेश की अवसंरचना और कनेक्टिविटी, विनिर्माण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, बीमा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवाहित होने की प्रत्याशा है, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और अग्रणी प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारे महत्वाकांक्षी युवाओं के कौशल में सुधार होगा और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

(ग) और (घ) : सरकार ने ईएफटीए से जुड़े निवेशों के प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए एक मजबूत सुविधा तंत्र स्थापित किया है।

भारत में निवेश, विस्तार या परिचालनों की स्थापित करने के लिए ईएफटीए व्यवसायों के लिए एकल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने हेतु फरवरी 2025 में एक समर्पित भारत-ईएफटीए डेस्क लॉन्च की गई है। यह डेस्क बाजार की अंतर्दृष्टि, विनियामक संबंधी मार्गदर्शन, व्यावसायिक मेलमिलाप और भारत के नीतिगत परिदृश्य को नेविगेट करने में सहायता करने सहित सहयोग प्रदान करती है, जिससे पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित होती है।

इसके अलावा, टीईपीए स्वयं अध्याय 7 के तहत निवेश संवर्धन और सहयोग पर एक उप-समिति स्थापित करता है। इस संस्थागत निकाय, जिसमें पक्षों के सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं, को निवेश संवर्धन अध्याय के कार्यान्वयन की देखरेख, समीक्षा और निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है, जिसमें निवेश और रोजगार सृजन संबंधी साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति भी शामिल है।

*****